दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/947 13.03.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: मध्य पूर्व में जहाजरानी संबंधी व्यवधानों के बीच निर्यातकों के लिए सुगम्य उपाय

मध्य पूर्व में चल रहे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और होर्मुज जलडमरूमध्य के कथित बंद होने के मद्देनजर , अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी मार्गों और माल ढुलाई में व्यवधान उत्पन्न हो गया है, जिससे भारत का निर्यात-आयात व्यापार प्रभावित हुआ है। निर्यातकों पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए, **केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)** , **जहाजरानी महानिदेशालय** , **बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय** और **जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण** सहित कई सरकारी प्राधिकरणों ने निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए सुगम्य उपायों की घोषणा की है।

1. **निर्यात दस्तावेजों में संशोधन या रद्द करने के लिए शुल्क में छूट**

सीबीआईसी ने स्पष्ट किया है कि जहां अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कि जहाजों का रद्द होना या पुनर्निर्धारण, माल सेवाओं का निलंबन या शिपिंग मार्गों में व्यवधान के कारण निर्यात दस्तावेजों में संशोधन या रद्द करना आवश्यक हो जाता है, वहां उचित अधिकारी शुल्क लगाने (सीमा शुल्क दस्तावेज) विनियम, 1970 के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान किए बिना ऐसे संशोधन या रद्द करने की अनुमति दे सकता है।

सीबीआईसी परिपत्र संख्या 10/2026-सीमा शुल्क दिनांक 10 मार्च 2026

कृपया लिंक देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260312064534.pdf

2. **जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए) द्वारा राहत उपाय**

जेएनपीए ने मौजूदा व्यवधानों के कारण फंसे माल के लिए निर्यातकों को राहत देने के उपायों की घोषणा की है। प्रमुख उपायों में शामिल हैं: मध्य पूर्व जाने वाले कंटेनरों के लिए 15 दिनों (28 फरवरी - 14 मार्च 2026) तक ग्राउंड रेंट/ड्वेल टाइम शुल्क में 100% छूट। नाशवान माल ले जाने वाले फंसे हुए रेफ्रिजरेटर कंटेनरों के लिए रेफ्रिजरेटर प्लग-इन शुल्क में 80% छूट। प्रभावित कंटेनरों के लिए अतिरिक्त भंडारण स्थान की व्यवस्था। अन्य बंदरगाहों से माल को जेएनपीए टर्मिनलों पर ट्रांसशिपमेंट कार्गो के रूप में अस्थायी रूप से संग्रहित करना। शिपिंग लाइनों, एनवीओसीसी और फ्रेट फॉरवर्डर्स को सलाह दी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि इन लाभों का लाभ निर्यातकों तक पहुंचाया जाए।

(जेएनपीए व्यापार सूचना संख्या जेएनपी/जीएमटी/मध्य पूर्व मुद्दा/टीएन-01 दिनांक 10 मार्च 2026)

व्यापार सूचना यहां से प्राप्त की जा सकती है:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260312053724.pdf

3. **शिपिंग शुल्क में पारदर्शिता पर सलाह**

डीजी शिपिंग ने शिपिंग लाइनों, वाहकों और उनके एजेंटों को सलाह दी है कि वे अनुचित या अपारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रथाओं से बचें और मौजूदा व्यवधानों के दौरान आयात-निर्यात कार्गो पर लगाए जाने वाले शुल्कों में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। शिपिंग लाइनों को सभी लागू शुल्कों को स्पष्ट रूप से बताने और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं का पालन करने की सलाह दी गई है।

(डीजी शिपिंग परिपत्र संख्या 14, 2026, दिनांक 09 मार्च 2026)

परिपत्र यहां से प्राप्त किया जा सकता है:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260312064714.pdf

4. **निर्यात माल की वापसी के लिए सरलीकृत प्रक्रिया**

होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के बाद समुद्री मार्गों में व्यवधान के कारण भारतीय बंदरगाहों पर लौट रहे निर्यात माल के प्रबंधन के लिए सीबीआईसी ने एक सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारित की है। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

किसी भी विदेशी बंदरगाह पर रुके बिना लौटने वाले जहाजों को सी अराइवल मैनिफेस्ट (एसएएम) दाखिल किए बिना बर्थिंग की अनुमति दी जा सकती है।

शिपिंग दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन, बिल ऑफ एंट्री दाखिल किए बिना भी कंटेनरों को अनलोड किया जा सकता है।

सीमा शुल्क विभाग द्वारा शिपिंग बिल और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर (एलईओ) रद्द किए जा सकते हैं।

निर्यातक लौटाए गए माल के लिए बैक-टू-टाउन (बीटीटी) सुविधा का अनुरोध कर सकते हैं।

ईजीएम दाखिल करने के बाद शिपिंग बिलों को रद्द करने की सुविधा आईसीएस में शुरू की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मामलों में निर्यात प्रोत्साहन वितरित न किए जाएं।

(सीबीआईसी परिपत्र संख्या 09/2026-सीमा शुल्क दिनांक 08 मार्च 2026)

परिपत्र यहां से प्राप्त किया जा सकता है:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260312054139.pdf

5. **प्रमुख बंदरगाहों के लिए व्यवधानों से निपटने हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी)**

मंत्रालय ने मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक अशांति के प्रभाव को कम करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

बंदरगाहों को निम्नलिखित सलाह दी गई है:

व्यापारिक मुद्दों के लिए एक एकल संपर्क सूत्र (एसपीओसी) नियुक्त करें।

मध्य पूर्व जाने वाले माल को ट्रांसशिपमेंट कार्गो के रूप में अस्थायी रूप से संग्रहीत करने की अनुमति दें।

आवश्यकतानुसार अतिरिक्त भंडारण क्षेत्र उपलब्ध कराएं।

निर्यात माल की बैक-टू-टाउन (बीटीटी) आवाजाही को सुगम बनाना।

जल्दी खराब होने वाले माल के लिए प्राथमिकता के आधार पर हैंडलिंग की व्यवस्था करें।

(बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय – दिनांक 06 मार्च 2026 का मानक परिचालन नियम)

मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) यहां से प्राप्त की जा सकती है:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260312054304.pdf

इन समन्वित उपायों का उद्देश्य भारत के निर्यात, आयात और आयात-निर्यात (EXIM) व्यापार में होने वाली बाधाओं को कम करना, निर्यातकों को राहत प्रदान करना और शिपिंग मार्गों को प्रभावित करने वाली मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के दौरान माल की आवाजाही की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

सभी सदस्यों को उपरोक्त घटनाक्रमों पर ध्यान देने और विशिष्ट मुद्दों को Bharti@plexconcil.org या Shillpa@plexconcil.org पर Plexconcil के साथ साझा करने की सलाह दी जाती है , ताकि संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामले को उठाया जा सके ।

सस्नेह

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल